न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3717–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–09–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के प्रकरण कमांक 507/2013–14/अपील.

गोविंद पिता जगन्नाथ जाति दांगी
निवासी ग्राम सिंदोडी तहसील व जिला
धार म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा पटवारी हाजा

.....अनावेदक

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक–आवेदक
श्री एच.के.अग्रवाल, अभिभाषक,–अनावेदक शासन

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/8/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र.भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश 30–9–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का नम्बर 6137 द्वारा तहसीलदार के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सिंदौडी स्थित शासकीय भूमि सर्वे कमांक 140 रकवा 0.949 हेक्टर पर मकान बनाकर आवेदक द्वारा अवैध

कब्जा किया गया है । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 46/अ–68/13–14 दर्ज कर दिनांक 15–5–2014 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का अतिकमण पाये जाने पर आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये गये साथ ही रुपये 5000/– का अर्थदण्ड अधिरोपित करने का दण्ड दिया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 19–8–2014 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–9–2014 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को बिना सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना की गई है, इसलिये उनका आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । पटवारी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का कोई सीमांकन नहीं कराया गया है और बिना सीमांकन कराये प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जबकि आवेदक का प्रश्नाधीन शासकीय भूमि पर अवैध अतिकमण नहीं है । इस आधार पर उल्लेख किया गया कि आवेदक पर अधिरोपित अर्थदण्ड भी विधिसंगत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) पटवारी द्वारा मौके पर कोई नप्ती नहीं की गई और अपने मिलने–जुलने वालों से हस्ताक्षर कराकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके आधार पर आदेश पारित करने में तहसीलदार द्वारा त्रुटि की गई है ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक द्वारा संहिता में हुये संशोधन के कारण पूर्व परीक्षण की मॉग की गई थी, साथ ही शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया था, जिस पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है ।

(4) संहिता की धारा 248 के अन्तर्गत तहसीलदार को निर्माण कार्य हटाने का अधिकार नहीं है । उक्त प्रावधान को अनदेखा कर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है और उनके आदेश की पुष्टि करने में अपीलीय न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है इसलिये उनके आदेश भी निरस्त किये जाने योग्य हैं । तर्को के समर्थन 1985 आरएन 261, 1989 आरएन 313, 1983 आरएन 36, 1980 आएन 308, 1975 आरएन 408 एवं 1974 आरएन 42 के न्यायदृष्टांत का उल्लेख किया है।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यही कहा गया कि आवेदक द्वारा शासकीय भूमि पर अतिकमण किया गया है, अतः तहसीलदार द्वारा अतिकमण हटाने का आदेश देने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है और उनके आदेश की पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी और अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तीनों अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है, अतः निगरानी खारिज की जाये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदक की उपस्थिति में प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन नहीं किया गया है और बिना सीमांकन किये प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का अवैध अतिकमण होने संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है । ऐसे प्रतिवेदन के आधार पर बिना आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बिना तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । तहसीलदार का यह दायित्व था कि वे आवेदक की उपस्थिति में प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कर सुनिश्चित करते कि आवेदक का प्रश्नाधीन भूमि पर अवैध कब्जा है अथवा नहीं ? तदोपरांत प्रकरण में यथोचित आदेश पारित करते । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनुचित आदेश होने से निरस्त किये जाने योग्य है । चूँकि तहसीलदार के अवैधानिक एवं अनुचित आदेश की पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है, इसलिए उनके आदेश भी

स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–9–14, अनुविभागीय अधिकारी, धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–8–2014 एवं नायब तहसीलदार वृत तिरला तहसील जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–5–2014 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण तहसील न्यायालय को उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर